



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2018/भाद्र 22, 1940

No. 639]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2018/BHADRA 22, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2018

सा.का.नि.873(अ).—निम्नलिखित प्रारूप नियमों जिन्हें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उप-धारा (9) के साथ पठित उप-धारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि इन प्रारूप नियमों को उस तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, व्याप्ति, प्रारंभ और रियायत:-

- (1) इन नियमों को मोटर यान (अखिल भारतीय पर्यटक यान प्राधिकृति और परमिट) नियम, 2018 कहा जाएगा तथा मोटर यान (पर्यटक परिवहन संचालकों के लिए अखिल भारतीय परमिट) नियम, 1993 को प्रतिस्थापित करेंगे।
- (2) ये पूरे भारत में लागू होंगे।
- (3) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित हो,-

- (क) “अधिनियम” से अभिप्राय है मोटर यान अधिनियम, 1988.
- (ख) “पर्यटक वाहन के लिए अखिल भारतीय प्राधिकृति” इसमें इसके पश्चात “प्राधिकृति” के रूप में उल्लिखित है, से अभिप्राय है किसी परिवहन प्राधिकरण द्वारा किसी पर्यटक वाहन संचालक को जारी किया गया जिसके द्वारा संबंधित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों जिनमें वाहन चलाया जाएगा, द्वारा निर्धारित परमिट प्रभागों के भुगतान के अधीन उसे भारत के संपूर्ण क्षेत्र में वाहन चलाने का अधिकार प्रदान किया जाता है।
- (ग) “अखिल भारतीय पर्यटक परमिट” इसमें इसके पश्चात “परमिट” के रूप में उल्लिखित है, से अभिप्राय है किसी वाहन को प्रदान किया जाने वाला परमिट जिसके द्वारा उसे किसी राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र द्वारा परमिट के वास्तविक उदगृहीत किसी अतिरिक्त प्रभाग का भुगतान किए बिना संपूर्ण भारत में प्रचालन के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
- (घ) “परिवहन प्राधिकरण” से ऐसा प्राधिकरण अभिप्रेत है जिसे अधिनियम के तहत पर्यटक वाहनों के संबंध में परमिट प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- (ङ.) “प्रपत्र” से अभिप्राय है इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रपत्र।
- (च) “नियम” से अभिप्राय है केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम।
- (छ) “धारा” से अभिप्राय है अधिनियम की धारा।
- (झ) “पर्यटक वाहन संचालक” से अभिप्राय है पर्यटक परिवहन वाहनों को उपलब्ध कराकर पर्यटन को बढ़ावा देने के व्यवसाय में लगी कोई कंपनी या फर्म या कोई व्यक्ति।
- (ज) “पर्यटक वाहन” से अभिप्राय है एक संविदा कैरिज जिसे इस पक्ष में यथा-विनिर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार निर्मित किया गया है या अपनाया गया है और सुसज्जित एवं अनुरक्षित किया गया है।

(2) प्राधिकृति/परमिट केवल पर्यटक वाहनों के संचालकों को प्रदान किया जाएगा।

3. प्राधिकृति/परमिट का प्रपत्र, विषय-वस्तु, अवधि आदि:-

- (1) प्राधिकृति/परमिट को जारी/नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र क्षेत्राधिकार परिवहन प्राधिकरण को प्रपत्र 1 में इलैक्ट्रॉनिक फार्म में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) प्राधिकृति और परमिट क्रमशः प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 में जारी किया जाएगा तथा यह 1 वर्ष या अधिक वर्ष यदि पर्यटक वाहन के संचालक द्वारा लंबी अवधि हेतु चयन किया जाता है, की अवधि के लिए वैध होगा।

4. प्राधिकृति/परमिट जारी करने के लिए फीस:-

प्राधिकृति/परमिट जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित तालिका के अनुसार समेकित परमिट फीस को पूरे भारत के क्षेत्र में प्रचालन के लिए परमिट जारी करने हेतु अखिल भारतीय प्राधिकरण पर्यटक वाहन परमिट खाते में जमा किया जाएगा।

परंतु यह कि जहां किसी संचालक ने परमिट जो प्राधिकृत नहीं है, के लिए आवेदन किया है तो प्राधिकृति के लिए फीस का भी भुगतान किया जाएगा:-

प्राधिकृति/परमिट जारी करने के लिए वार्षिक फीस			
पर्यटक वाहन की यात्री क्षमता ड्राइवर को छोड़कर	प्राधिकृति (फीस रु. में)	एसी (फीस रु. में)	गैर-एसी (फीस रु. में)
9 से कम	1000	25,000	15,000
10 या अधिक किंतु 23 से कम	1500	75,000	50,000
23 या अधिक	2500	3,00,000	2,00,000

स्पष्टीकरण इस नियम के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति “अखिल भारतीय पर्यटक वाहन परमिट अकाउंट” से अभिप्राय है केंद्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाने वाला खाता।

5. समेकित प्राधिकृति/परमिट फीस का राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में वितरण:-

प्राधिकृति के लिए भुगतान की गई फीस को क्षेत्राधिकार राज्य को मासिक आधार पर संप्रेषित किया जाएगा। इन नियमों के नियम 4 में विनिर्दिष्ट “अखिल भारतीय पर्यटक वाहन परमिट अकाउंट” में एकत्र की गई परमिट फीस का राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में वितरण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा:-

एसआरएन	=	एसएसएन x (देश के लिए मासिक वास्तविक राजस्व)
एसआरएन	=	राज्यों के लिए मासिक वास्तविक राज्य राजस्व
एसएसएन	=	राज्य का राज्य हिस्सा
	=	<u>पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए प्रत्येक राज्य हेतु कुल राजस्व</u> पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों का कुल राजस्व

नोट: कुल राजस्व राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र द्वारा अंतर-राज्यीय परमिट शुल्क की वसूली से एकत्रित कुल राजस्व होना चाहिए।

6. प्राधिकृति/परमिट का कार्य-क्षेत्र और वैधता:

प्राधिकृति/परमिट पूरे देश के लिए मान्य होना चाहिए। इसका उपयोग अपने निजी सामान के साथ व्यक्तिगत या समूह में यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाना चाहिए। इस प्राधिकृति/परमिट की मान्यता, एक वर्ष या इससे अधिक, अगर पर्यटक वाहन परिचालक द्वारा ऐसी लंबी अवधि के लिए लिया जाता है, होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को पर्यटक वाहन का इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक अंतर-राज्यीय यात्रा के लिए वाहन संचालक के पास व्यक्तिगत या एक समूह के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप में मान्य अनुबंध न हो।

7. प्राधिकृति/परमिट जारी करने के लिए आवेदन प्रक्रिया:

- (1) प्राधिकृति/परमिट के लिए ऐसे परिवहन प्राधिकरण में आवेदन करना चाहिए, जिनके क्षेत्राधिकार में वाहन का पंजीकरण किया गया हो या राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र द्वारा अधिकृत अन्य ऐसा प्राधिकृत प्राधिकरण हो। राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकृत प्राधिकरण के पास इन नियमों के अंतर्गत परिवहन प्राधिकरण की भूमिका और उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियां निभाने के अधिकार हैं।
- (2) परिवहन प्राधिकरण वाहन की जांच कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन सभी नियमों के अनुरूप और सड़क के अनुकूल हों।
- (3) परिवहन प्राधिकरण ऐसे सटीक और पर्याप्त कारणों के आधार पर उप-नियम (1) के तहत किए गए आवेदन को अस्वीकृत कर सकते हैं, जिन्हें लिखित में देना होगा। हालांकि, किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले आवेदक को अपने आवेदन की पुष्टि करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
- (4) अगर आवेदन करने के 30 दिन के भीतर परिवहन प्राधिकरण द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो उस परमिट को स्वीकृत माना जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के जरिए इसे तैयार किया जाएगा।
- (5) आवेदन करने, ऑनलाइन भुगतान और परमिट जारी करने को सुकर बनाने के लिए एक वेब आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

8. परमिट का हस्तांतरण

- (1) उप-नियम (2) में अन्य स्वरूप में निहित, प्राधिकृति/परमिट जारी करने वाले परिवहन प्राधिकरण की अनुमति को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को प्राधिकृति/परमिट का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।
- (2) जहां प्राधिकृति/परमिट प्रदत्त संस्वीकृत वाहन के स्वामित्व में, वाहन की बिक्री या स्वामी की मृत्यु के कारण परिवर्तन होता है, नया स्वामी/उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, बिक्री/मृत्यु जैसा भी मामला हो, के एक माह के अंदर अधिकारिता परिवहन प्राधिकरण को स्वामित्व परिवर्तन को संसूचित करने के अध्यक्षीन प्राधिकृति/परमिट का उपयोग कर सकेगा।

बशर्ते, परिवहन प्राधिकरण अगर संतुष्ट होता है कि आवेदक को विशेष अवधि के भीतर आवेदन करने से रोका गया था तो वह बताई गई एक महीने की अवधि समाप्त होने के बाद किए गए आवेदन पर विचार कर सकता है।

9. वाहन का प्रतिस्थापन –

प्राधिकृति/परमिट धारक अधिकारिता परिवहन प्राधिकरण की अनुमति से प्राधिकृति/परमिट द्वारा कवर किए हुए किसी भी वाहन को एक ही प्रकृति के किसी अन्य वाहन से प्रतिस्थापित कर सकता है।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ के लिए अभिव्यक्ति 'उसी प्रकृति के' वाहन का अर्थ है एक ही बैठने की क्षमता जिसके लिए परमिट दिया गया है तथा समग्र शुल्क चुकाया गया है तथा ऐसा प्रतिस्थापन वाहन किसी भी अन्य मेक या मॉडल का हो सकता है।

10. अपील -

किसी भी व्यक्ति का परिवहन प्राधिकारी द्वारा की गई निम्नलिखित कार्रवाई के प्रति असंतुष्ट होना:

- (क) प्राधिकृति/परमिट जारी करने से इनकार करने पर, या

- (ख) प्राधिकृति/परमिट का निरसन या निलंबन अथवा उसकी स्थिति में किसी प्रकार की तब्दीली, या
- (ग) इन नियमों के नियम 8 या नियम 9 के तहत प्राधिकृति/परमिट के हस्तांतरण से मना करने का आदेश, या
- (घ) प्राधिकृति/परमिट का नवीनीकरण करने से मना करने का आदेश, या
- (ङ) परमिट से संबंधित किसी अन्य आदेश पर आवेदक द्वारा उक्त आदेश प्राप्त करने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है। इसके बाद यह प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति और परिवहन प्राधिकरण को अपना अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद निर्णय लेगा और दोनों पक्षों को इस निर्णय का पालन करना होगा।

11. पर्यटक वाहन की आयु –

वाहन को दिए गए परमिट के बारह वर्ष पूरा होने की तिथि से प्राधिकृति/परमिट को अमान्य समझा जायेगा। स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए संबंधित पर्यटक वाहन के पहले पंजीकरण की तिथि से बारह वर्ष की अवधि तक परिकल्पित किया जायेगा।

12. विशेषता सूचक चिन्ह-

इन नियमों के तहत जारी प्राधिकृति/परमिट के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक वाहन के पीछे और बाईं ओर नीले वृत्त में सफेद रंग से ऐसे प्राधिकृति/परमिट की वैधता के साथ शब्द 'अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकृति' या 'अखिल भारतीय पर्यटक परमिट' जो भी मामला हो, लिखा होना चाहिए।

13. पर्यटकों की सूची-

प्राधिकृति/परमिट के अंतर्गत चल रहे पर्यटक वाहन में हर समय इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कागज पर पर्यटकों की एक सूची होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक यात्री की यात्रा के आरंभ और गंतव्य स्थान के बारे में विस्तार से जानकारी हो। अधिनियम के तहत या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा कागजात की मांग करने पर उन्हें यह सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

14. यात्रियों का बीमा-

प्राधिकृति/परमिट के अंतर्गत चल रहा प्रत्येक वाहन यात्री देयता कवर के लिए बीमित होगा। बीमा में चालक की देयता भी शामिल होनी चाहिए।

15. प्रत्येक प्राधिकृति/परमिट धारक द्वारा अपने पास रखी जाने वाली जानकारी :-

प्राधिकृति/परमिट वाले पर्यटक वाहनों के प्रत्येक परिचालक को यात्रा के ब्यौरे सहित यात्रियों का रिकार्ड कम से कम एक वर्ष की अवधि तक अपने पास रखना चाहिए। अधिकारिता परिवहन प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर ये रिकार्ड उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।

16. प्राधिकृति/परमिट वाले पर्यटक वाहनों के लिए अतिरिक्त शर्तें:-

- वाहन में एक फास्टेग स्थापित होना चाहिए।
- वाहन में आपातकाल चेतावनी प्रणाली के साथ ही वाहन ट्रेकिंग उपकरण लगा होना चाहिए जैसाकि एआईएस-140 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- वाहन में निम्नलिखित कागजात इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कागज पर हर समय उपलब्ध होने चाहिए और अधिनियम के तहत या अधिकृत अधिकारी द्वारा मांग करने पर उनके समक्ष यह प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ये कागजात हैं:-
 - फिटनेस प्रमाणपत्र
 - बीमा प्रमाणपत्र
 - पंजीकरण प्रमाणपत्र
 - राष्ट्रीय परमिट/प्राधिकृति

प्रपत्र 1

[नियम 4 (1) देखें]

पर्यटक वाहन / अखिल भारत पर्यटक परमिट के लिए अखिल भारत प्राधिकृति जारी करने के लिए प्रपत्र

सेवा में

परिवहन अधिकारी

निम्नलिखित के लिए आवेदन (जो भी लागू हो, उस पर निशान लगाएं)

1. पर्यटक वाहन के लिए अखिल भारत प्राधिकृति
2. पर्यटक वाहन के लिए अखिल भारत पर्यटक परमिट

1.	आवेदक का नाम							
2.	पूरा पता							
3.	पैन							
4.	वाहन के स्वामित्व का विवरण - स्वामित्व / पट्टे पर							
5.	वाहन (वाहनों) के विवरण जिनके लिए प्राधिकृति / परमिट मांगा गया है:							
	क्र. सं.	वाहन विनिर्माता	पंजीकरण संख्या / इंजन नं./ चेसिस नं.	फिटनेस प्रमाण पत्र की तिथि और वैधता	बीमा की तिथि और वैधता	जिस तिथि तक सड़क कर का भुगतान किया गया	प्रथम पंजीकरण की तिथि	सवारी क्षमता
6.	अगर केवल परमिट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो प्राधिकृति विवरण -							
7.	वाहन को परमिट जारी करने वाले प्राधिकरण का विवरण :							
8.	वर्षों की संख्या जिनकी प्राधिकृति और परमिट के लिए आवेदन किया गया है							

9. मैंने प्राधिकृति / परमिट शुल्क के मद में निम्नलिखित भुगतान किए हैं -

क्रम सं.	वाहन संख्या	पंजीकरण	वर्षों की संख्या जिनकी प्राधिकृति और परमिट के लिए आवेदन किया गया है	प्राधिकृति शुल्क	परमिट शुल्क	भुगतान विवरण

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है।

तिथि

आवेदक(आवेदकों) या आधिकारिक रबर स्टैप के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

* जो भी लागू नहीं है काट दें।

प्रपत्र 2

[नियम 4 (2) देखें]

अखिल भारत पर्यटक वाहन प्राधिकृति प्रमाण पत्र

**यह अखिल भारत पर्यटक वाहन प्राधिकृति प्रमाण पत्र पूरे भारत में वैध है
(प्रत्येक वाहन के लिए अलग अलग प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे)**

1. व्यक्ति या कंपनी का पूरा नाम (उपनाम, यदि कोई हो से शुरू)
2. पूरा पता
3. प्राधिकार सं.

क्र. सं.	वाहन विनिर्माता	पंजीकरण संख्या / इंजन नं./ चेसिस नं.	फिटनेस प्रमाण पत्र की तिथि और वैधता	बीमा की तिथि और वैधता	जिस तिथि तक सड़क कर का भुगतान किया गया	प्रथम पंजीकरण की तिथि	सवारी क्षमता

4. प्राधिकृति प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि : दिनांक से दिनांक तक।
(उपयुक्त प्राधिकारी की मुहर) परिवहन अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र 3

[नियम 4 (2) देखें]

अखिल भारत पर्यटक परमिट

**यह अखिल भारत पर्यटक परमिट पूरे भारत में वैध है
(प्रत्येक वाहन के लिए अलग अलग प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे)**

1. व्यक्ति या कंपनी का पूरा नाम (उपनाम, यदि कोई हो से शुरू)
2. पूरा पता
3. परमिट नं.

क्र. सं.	वाहन विनिर्माता	पंजीकरण संख्या / इंजन नं./ चेसिस नं.	फिटनेस प्रमाण पत्र की तिथि और वैधता	बीमा की तिथि और वैधता	जिस तिथि तक सड़क कर का भुगतान किया गया	प्रथम पंजीकरण की तिथि	सवारी क्षमता

4. अखिल भारत पर्यटक परमिट की वैधता की अवधि : दिनांक से दिनांक तक।
(उपयुक्त प्राधिकारी की मुहर) परिवहन अधिकारी का हस्ताक्षर

[सं. आरटी - 16017/2/2018-टी]
अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2018

G.S.R. 873(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (14) read with sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), are hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110 001;

Any objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid, shall be considered by the Central Government.

Draft Rules**1. Short title, extent, commencement and exemption. -**

- (1) These rules may be called the Motor Vehicles (All India Tourist Vehicles Authorisation and Permit) Rules, 2018 and shall substitute the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993.
- (2) They shall extend to the whole of India.
- (3) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.

2. Definitions. -

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “Act” means the Motor Vehicles Act, 1988.
 - (b) “All India Authorisation for Tourist Vehicle” hereinafter referred to as “Authorisation” means an authority issued by a transport authority to a Tourist Vehicle operator authorizing him to operate the vehicle throughout the territory of India subject to payment of permit charges set by the respective States/ UT through which it would ply.
 - (c) “All India Tourist Permit” hereinafter referred to as “permit” means a permit granted to a vehicle authorizing it to operate in whole of India, without payment of any additional charge levied by any state/ UT on account of the permit;
 - (d) “Transport authority” means the authority which is authorised under the Act to grant a permit in respect of a tourist vehicle;
 - (e) “Form” means a Form specified in these rules;
 - (f) “rule” means rule of the Central Motor Vehicle Rules, 1989;
 - (g) “section” means section of the Act;
 - (h) “Tourist Vehicle Operator” means a company or firm or an individual engaged in the business of promotion of tourism by providing tourist transport vehicles;
 - (i) “Tourist Vehicle” means a contract carriage, constructed or adapted and equipped and maintained in accordance with such specifications as may be prescribed in this behalf.

- (2) The Authorization/ Permit shall be issued only to the Operator of Tourist Vehicles.

3. Form, contents, duration etc. of the Authorisation/ Permit. -

- (1) Every application for the issue/ renewal of an Authorization/ Permit shall be made in electronic form to the jurisdictional Transport Authority in Form-1.
- (2) The Authorization and the Permit shall be issued in Form 2 and Form 3 respectively, and shall be valid for a period for one year or more, if opted for such longer period by the operator of the tourist vehicle.

4. Fee for issue of Authorisation/ Permit. –

Every application for the issue of an Authorisation/ Permit shall be accompanied with a consolidated permit fee as per undermentioned table to be deposited in the All India Authorization Tourist Vehicle Permit account for issue of a permit to operate throughout the territory of India.

Provided that where an Operator has applied for issue of a permit, which does not have an authorisation, the fee for authorisation shall also be payable.

Annual Fee for issue of Authorisation/ Permit			
Passengers capacity of Tourist Vehicle excluding driver	Authorisation (Fee in rupees)	AC (Fee in rupees)	Non-AC (Fee in rupees)
Less than 9	1000	25,000	15,000
Ten or more but less than 23	1500	75,000	50,000
23 or more	2500	3,00,000	2,00,000

Explanation: For the purpose of this rule, the expression “All India Tourist Vehicle Permit account” means an account to be maintained by the Central Government and notified in the Official Gazette.

5. Distribution of consolidated Authorisation/ Permit fee among States and Union Territories. -

The fee paid towards authorisation shall be remitted on a monthly basis to the jurisdictional State. The distribution of Permit fee collected in the “All India Tourist Vehicle Permit account” specified in rule 4 of these rules, among the States and Union territories, shall be as per the formula given below:

$$\begin{aligned}
 SR_n &= SS_n \times (\text{Actual revenue for the month for the country}) \\
 SR_n &= \text{Actual State Revenue for the month for nth State} \\
 SS_n &= \text{State share of nth State} \\
 &= \frac{\text{Total revenue for each State for preceding three financial years}}{\text{Total revenue of the all the states/ UTs for preceding three financial years}}
 \end{aligned}$$

Note: Total revenue shall be the total revenue collected by the state/ UT from levy of Inter-state permit charges.

6. Scope and Validity of the authorisation / permit. –

The authorisation/ permit shall be valid for the whole of India. It shall be used for the transport of passengers individually or in a group, along with their personal luggage. The validity of the authorisation/ permit shall be one year or more, if opted for such longer period by the tourist vehicle operator. No individual or a group of individuals, shall use the tourist vehicle, unless they have a valid contract in electronic form or otherwise, with the vehicle operator for the inter-state travel, individually or as a group.

7. Procedure of applying for issue of Authorisation/ Permit. —

- (1) An application for an Authorisation/ Permit may be made to the Transport Authority under whose jurisdiction the vehicle is registered or any other authority authorised by the state/UT in this behalf. Such other authority, if so authorised by the State/ UT, shall have powers to discharge all the roles and responsibilities assigned to the Transport Authority under these rules.
- (2) The Transport Authority may inspect the vehicle to ensure that it is compliant with the regulations and is road worthy.
- (3) The Transport Authority may reject the application made under sub-rule (1) for good and sufficient reasons to be recorded in writing. However, before rejecting an application, an opportunity shall be given to the applicant to substantiate his application.
- (4) If no decision is taken by the Transport Authority within 30 days of the application, the permit shall be deemed to have been granted and generated through electronic system.
- (5) A web based electronic system shall be developed to facilitate the filing of application, online payment and issue of permits.

8. Transfer of Permit. —

- (1) Save as otherwise provided in sub-rule (2), an Authorisation/ Permit shall not be transferable from one person to another except with the permission of the Transport Authority which issued the Authorisation/ Permit.
- (2) Where the ownership of the vehicle granted an Authorisation/ Permit changes due to the sale of the vehicle or death of the owner, the new owner/ successor, as the case may be, shall use the Authorisation/ Permit, subject to intimation of the change of ownership to the jurisdictional transport authority within a month from the sale/ death as the case may be.

Provided that the Transport Authority may entertain an application made after the expiry of the said period of one month, if it is satisfied that the applicant was prevented from making an application within the specified time.

9. Replacement of vehicle. —

The holder of an Authorisation/ Permit may, with the permission of the jurisdictional Transport Authority, replace any vehicle covered by the Authorisation/ Permit by any other vehicle of the same nature.

Explanation. — For the purpose of this rule, the expression “the vehicle of same nature” means having the same seating capacity for which permit has been granted and composite fee paid and such a replacement vehicle could be of any other make or model.

10. Appeals. —

Any person aggrieved by the action of the Transport Authority against:

- (a) the refusal to issue an Authorisation/ Permit; or
- (b) the revocation or suspension of the Authorisation/ Permit or any variation of the condition thereof; or
- (c) the order of refusal to transfer the Authorisation/ Permit under rule 8 or rule 9 of these rules; or
- (d) the order of refusal to renew an Authorisation/ Permit; or
- (e) any other order which may be made in connection with the Permit,

may within a period of thirty days from the date on which the said order is received by the applicant, appeal to the State Transport Authority, who shall give a decision thereon after giving such person and the Transport Authority an opportunity of being heard, and such decision shall be binding on the parties.

11. Age of the Tourist Vehicle. —

An Authorisation/ Permit shall be deemed to be invalid from the date on which the Vehicle covered by the said permit completes twelve years.

Explanation.— For the purpose of this rule, the period of twelve years shall be computed from the date of initial registration of the tourist Vehicle concerned.

12. Distinguishing mark. -

Every Vehicle under the Authorisation/ Permit issued under these rules shall exhibit the words 'All India Tourist Authorisation' or 'All India Tourist Permit' as the case may be, along with the validity of such Authorisation/ Permit, on the rear and left side of the vehicle, in white letters in a blue circle.

13. List of Tourists. —

A Tourist Vehicle plying under the Authorisation/ Permit shall at all times carry a list of passengers in electronic or in paper form, which shall include the details of origin and the destination of each passenger. The list shall be produced on demand by the officers authorised to demand production of documents by or under the Act or the Rules made there under.

14. Insurance of Passengers. -

Every vehicle operating under the Authorisation/ Permit shall be insured for Passenger Liability cover. The insurance shall also include the liability for driver.

15. Information to be kept by every Authorisation/ Permit Holder. —

Every operator having tourist vehicles with Authorisation/ Permit shall keep a record of the passengers,

including journey details, for a minimum period of one year. These records shall be made available to the jurisdictional Transport Authority on demand.

16. Additional Conditions for Tourist vehicles having Authorisation/ Permit -

- (i) The vehicle must have a Fastag installed.
- (ii) The vehicle should have a Vehicle Tracking Device installed along with Panic alert mechanism as specified in AIS-140.
- (iii) The vehicle shall at all times carry the following documents in paper or in electronic form and these shall be produced on demand by an officer empowered to demand documents by or under the Act, namely: —
 - (a) Certificate of fitness,
 - (b) Certificate of insurance,
 - (c) Certificate of registration,
 - (d) National permit/ Authorisation.

Form 1

[Refer rule 4(1)]

Form for Issue of All India Authorisation for Tourist Vehicle / All India Tourist Permit

To

The Transport Authority

.....

Application for (Tick whichever is applicable)

- 1 **All India Authorisation for Tourist Vehicle**
- 2. **All India Tourist Permit for Tourist Vehicle**

1.	Name of the applicant(s)	
2.	Complete address	
3.	PAN	
4.	Ownership details of vehicle – Owned/ Leased	
5.	Particulars of the vehicle(s) for which authorization/ permit is required:	

Sr. No.	Make of the vehicle	Registration No./ Engine No/ Chasis No	Date and validity of Fitness Certificate	Date and validity of Insurance	Road Tax paid up to..	Date of First Registration	Seating Capacity
6.	If applying only for Permit, then authorisation details -						
7.	Permit issuing authority of the Vehicle:						
8.	Number of years for which the authorization and permit is applied for ...						

9. I have made following payments towards Authorisation/ Permit fee-

Sr. No.	Vehicle Registration No	No of years for which authorisation/ permit applied	Authorisation Fee	Permit Fee	Payment Details

I certify that the above information is true and correct.

Signature or thumb impression of applicant(s) or of the authorized signatory with official rubber stamp.

Date _____

*Strike out whichever is not applicable.

Form 2

[Refer rule 4(2)]

All India Tourist Vehicle Authorisation Certificate

This All India Tourist Vehicle Authorisation Certificate is valid for whole of India

(Separate certificates shall be issued for every vehicle)

1. Name in full of the individual or company (starting with surname, if any)
2. Complete Address
3. Authorisation No.

Sr. No.	Make of the vehicle	Registration No./ Engine No/ Chasis No	Date and validity of Fitness Certificate	Date and validity of Insurance	Road Tax paid up to..	Date of First Registration	Seating Capacity

4. Period of validity of the authorization certificate: From.....to.....

(Seal of the appropriate authority)

Signature of the Transport
Authority

Form 3

[Refer rule 4(2)]

All India Tourist Permit

This All India Tourist Permit is valid for whole of India

(Separate certificates shall be issued for every vehicle)

1. Name in full of the individual or company (starting with surname, if any)
2. Complete Address
3. Permit No.

Sr No	Make of the vehicle	Registration No./ Engine No/ Chasis No	Date and validity of Fitness Certificate	Date and validity of Insurance	Road Tax paid up to..	Date of First Registration	Seating Capacity

4. Period of validity of the All India Tourist Permit From.....to.....

(Seal of the appropriate authority)

Signature of the Transport
Authority

[No. RT-16017/2/2018-T]

ABHAY DAMLE ,Jt. Secy .